




एक लड़कन में काउन्ट बना हुआ
 राजकीय सुमि का भी हाल
 से बंटवारा दिया जावे। इन
 वाद वादीया व बिस् काउन्ट वाद
 विरुद्ध त्रिवारिजन सापमि व
 डिरी जाये भी बानी व
 विरुद्ध निर्णय त्रपठ से
 टंभन का शारील मिलन
 रहे। बंटवारा प्रस्ताव हेतु
 तहसीलदार वॉलायमगढ को
 तहसील वारी से। पत्रावली
 वास्ते बंझजातु बंटवारा
 प्रस्ताव हेतु दिनांक २२/१/२४
 को पेश है।


 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेकिंग)
 वॉलायमगढ (सीकर)

पत्रावली पेश। वहील फोर्मेन व्।
 त्रिवारि वसं. 12 व 16 की
 ओर तहसीलदार वॉलायमगढ
 वलि। तहसीलदार वॉलायमगढ
 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त।
 शारील मिलन रहे। वहील



 में F. D. हेतु पत्रावली
 श्रीमानजी २४/१/२०२४
 प्रतिकारी सं- २२-
 एरीश कुमार ने
 मुख्य अधिकारी को
 फोर्मेन हेतु निर्देशित
 किया है। सुनवाई
 का अकार्यो की अपार

 डी. वॉलायमगढ
 एड.

22 7
 24

वादीया क तहसीलवा दोना रामगढ
 ने बंटवाए प्रस्ताव अनुभाग संश्लेष
 डिभि लाली करवे हेतु आदेशिका
 पडु सम्मति लाहिरि मी । बहस
 इत्यपस सुनी ठार । डॉलने
 बहस वकील वादीया ने
 बंटवाए प्रस्ताव अनुभाग बंटवाए
 करवे हेतु निवेदन किया ।
 तहसीलवा दोना रामगढ ने कथन
 किया कि वादग्रस्त भूमि में
 शतकीय भूमि की आशिय है
 जिला बंटवाए किया जाना
 आवश्यक है । क्योंकि सामान्य
 भूमि देने से स-प लोगों
 कोप भूमि पडु हुन्ना डिजा
 जा रथ है । अतः सरकार
 का हिसा काउन्टरवा अनुभाग
 व बंटवाए प्रस्ताव अनुभाग
 प्रयत्न किया जावे । बहस सुनने
 में परवान वकील की सुरेन्द्र
 सिंह विडान ने आदेशिका
 पडु प्रतिकारी संख्या । मी
 कोने में परती करने हेतु
 लिखा । भूमि प्रदान में बंटवाए

प्रस्ताव भा चुका है तथा वकील
 सुरेन्द्र सिंह विशाम ने त्रिवाली
 संख्या 1 की ओर से पेशी
 हेतु खिया परन्तु त्रिवाली
 संख्या 1 की दिनांक 8.7.24
 को ही हड़पसीय कार्यवाही
 हो चुकी है तथा न तो त्रिवाली
 संख्या 1 हरिश कुमार की ओर
 से वकालतनामा पेश किया है
 न ही खीपीसी के आदेश
 9 नियम 7 का आवेदन
 पेश किया है। अतः इस
 स्तर पर बिना विधि प्रक्रिया
 अपनाये गया बिना वकालतनामों
 के वं खीपीसी के आदेश
 9 नियम 7 के तार्पना - पत्र
 पेश किया बिना सुनवाई का
 अवसर नहीं दिया जा सका।
 अतः वकील वादीया व कटतीलकर
 दादादाभगद की सहमति के
 आधार पर त्राम बंधारा
 प्रस्ताव मय नब्शा देय

अनुसार वाद व काउन्टर वाद
 वादीया विरुद्ध प्रिवालीगंग अंतिम
 डिमी वाली छिया जाना है।
 विद्वान् निर्णय प्रपत्र से टंडन
 कल बासील मिलल रहे।
 तहसीलवा, दोतरामगढ़ को
 ठहरी वाली बे। पत्रावली
 फंवाण शुभा, बेका नम्र
 से इग बे, बाखिल
 पफ्त, बे।



सहायक कलेक्टर (फाट ट्रेक)
 दोतरामगढ़ (सीकर)